राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

आ दे श

चिरमोली बनाम् राजस्थान राज्य।
(एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-9714/2009)

30.11.2009

माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

श्री हरेन्द्र सिनसिनवार, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
श्री प्रदीप श्रीमाल, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

प्रार्थी की ओर से यह जमानत का आवेदन पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा- 439 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर प्रार्थी को जमानत पर स्वतंत्र किए जाने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी श्री हरेन्द्र सिनसिनवार ने न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 3 07 की परिभाषा में परिभाषित होता हो। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में परस्पर प्रकरण पंजीबद्ध हुए है तथा प्रार्थी पक्ष द्वारा पंजीबद्ध करवाई गई प्राथमिकी में गम्भीर चोटें प्रार्थी पक्ष के आई हैं। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी आदतन अपराधी नहीं है, उसके विरूद्ध इसके अतिरिक्त इससे पूर्व अन्य कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है।प्रार्थी लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना है। अत: प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रार्थी को जमानत पर स्वतंत्र किया जावे।

लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तगण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन किया गया।

प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई मत अभिव्यक्त किए बिना, क्योंकि इससे प्रकरण विचारण प्रभावित होने की

सम्भावना है , मैं प्रकरण में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा-439 के प्रावधान आकर्षित करते हुए प्रार्थी को जमानत पर स्वतंत्र किया जाना उचित समझता हूं।

अत: आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी चिरमोली पुत्र डिव्वन विचारण न्यायालय के संतोष अनुसार 25,000/-रूपये(अक्षरे पच्चीस हजार) का व्यक्तिगत बंधपत्र व उसी राशि की एक सुदृड़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूति इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा तो उसे आरक्षी केन्द्र,जुरहरा जिला- भरतपुर पर पंजीबद्ध प्राथमिकी संख्या-20/2009 में, यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर स्वतंत्र किया जावे, किन्तु यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रार्थी जमानत पर स्वतंत्र होने के उपरान्त अपराध की पुनरावृति करता पाया जाता है अथवा किसी अन्य अपराध में लिप्त पाया जाता है तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उसकी जमानत निरस्त कराने हेतु विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही कर उसकी जमानत को निरस्त करा सके।

(न्या. महेश चन्द्र शर्मा)

एमसीएस.